परिपत्र संख्या – वि0अनु0शा0/ 2025-26/ टेलीकम्यूनिकेशन सेवाएँ/848 / कम्प्युटर परिपत्र संख्या/ 252603 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वि0अनु0शा0 अनुभाग, लखनऊ)

दिनांक: 23 जून, 2025

समस्त
ज़ोनल अपर आयुक्त, राज्य कर
अपर आयुक्त ग्रेड – 2 (वि0अनु0शा0), राज्य कर
संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0 / कार्यपालक), राज्य कर
उत्तर प्रदेश

विषय: दूरसंचार सेवाओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) के कार्यान्वयन संबंधी निर्देश।

दूरसंचार सेवाओं का Services Accounting Code (SAC) **9984** / HSN: 998413 है, जिसकी आपूर्ति पर जी0एस0टी0 अधिनियम के अंतर्गत 18% की दर से कर की देयता है। CGST अधिनियम, 2017 की धारा - 2(110) के अनुसार, "दूरसंचार सेवा (Telecommunication Service)" की परिभाषा इस प्रकार है:

"दूरसंचार सेवा" का अर्थ है किसी भी प्रकार की सेवा (जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉइस मेल, डाटा सेवाएं, ऑडियो टेक्स्ट सेवाएं, वीडियो टेक्स्ट सेवाएं, रेडियो पेजिंग और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं शामिल हैं) जो उपयोगकर्ताओं को किसी संकेत, संकेतों, लेखन, छवियों, ध्वनियों या किसी भी प्रकृति की बुद्धिमता के तार, रेडियो, दृश्य या अन्य विद्युत-चुंबकीय साधनों के माध्यम से प्रसारण या प्राप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

"Telecommunication Service" means Service of any description (including electronic mail, voice mail, data services, audio text services, video text services, radio paging and cellular mobile telephone services) which is made available to users by means of any transmission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature, by wire, radio, visual or other electromagnetic means.

सरल शब्दों में, यह परिभाषा उन सभी सेवाओं को शामिल करती है जो जानकारी (जैसे आवाज, डाटा, ई-मेल आदि) के प्रसारण या प्राप्ति से संबंधित होती हैं — चाहे वह किसी भी माध्यम (जैसे तार, रेडियो, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक तकनीक) से हो।

दूरसंचार सेवाओं में टैक्स संग्रह की प्रक्रिया

दूरसंचार सेवाओं में टैक्स संग्रह की प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित प्रणाली के अंतर्गत की जाती है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा कर (टैक्स) वसूला जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है -

- आउटवर्ड सप्लाई सेवाओं पर कर
- टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं में RCM पर कर देयता
- टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं में ITC रिवर्सल की स्थिति

(A) आउटवर्ड सप्लाई सेवाओं पर कर देयता

1) टेलीकम्यूनिकेशन कंपनियाँ स्टेटवाइज पंजीकृत है, उनकी सेवाऐं सर्किल वाइज दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के उपभोक्ताओं को तीन टेलीकॉम सर्किल द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती हैं – i) UP West; ii) UP East एवं iii) Delhi सर्किल (जिसमें UP West सर्किल से उत्तराखण्ड को सेवाएँ प्रदान की जाती हैं व Delhi Circle से नोएडा-गाजियाबाद के उपभोक्ताओं को सेवाएँ दी जाती हैं।
2) उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं से टेलीकम्यूनिकेशन सर्विसेज पर कर प्राप्त कर लिया जाता है परंतु UP West Circle से उत्तराखण्ड के उपभोक्ताओं को जो सर्विस प्रदान की जाती है उस पर interstate होने के कारण IGST देय होती है जो IGST अधिनियम की धारा – 12, प्लेस ऑफ सप्लाइ अन्य प्रांत होने

के कारण कर उत्तर प्रदेश को कर प्राप्त नहीं होता है। अन्य बाहरी आपूर्ति एवं उन पर GST की प्रयोज्यता जैसे – रिचार्ज राजस्व; रोमिंग शुल्क राजस्व; फिक्स्ड लाइन इंटरनेट सेवाएं, DTH (Direct-to-Home) सेवाएं, बल्क SMS सेवाएं, मोबाइल वैल्यू एडेड सेवाएं (VAS) (जैसे रिंगटोन, गेम्स, डिजिटल कंटेंट आदि) आदि सभी सेवाएं कर योग्य मानी जाती हैं एवं इन पर नियमानुसार GST देय होगा।

3) उत्तराखंड के जिन उपभोक्ताओं का पता टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस प्रदाता कंपनियों के डाटाबेस में नहीं है और उन पर IGST के माध्यम से कर लिया जा रहा, उस स्थिति में ऐसे समस्त उपभोक्ताओं का पता उत्तराखंड राज्य में होना चाहिए अन्यथा की स्थिति में कर SGST / CGST के माध्यम से चार्ज किया जाये।

4) इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के नोयडा / गाजियाबाद के postpaid उपभोक्ताओं हेतु जिनका पता नोयडा व गाजियाबाद में है और जिन्हें दिल्ली सर्किल में पंजीकृत ऑपरेटर द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती हैं वे IGST के माध्यम से कर प्राप्त करें जिससे IGST ट्रान्सफर / settlement उत्तर प्रदेश राज्य को मिले।

5) आउटवर्ड सप्लाई में 18% दर से कर चार्ज किया जाये। यदि 5% व 12% से कर चार्ज किया जा रहा है तो GSTR-9 व GSTR-9C के माध्यम से एनालाइज करते हुए उसका निस्तारण किया जाये।

6) टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस प्रदाता द्वारा टेलीकॉम सर्विस के अतिरिक्त इंसिडेंटल / अनुपूरक आदि अन्य सर्विस भी प्रदान की जाती है, जिस पर कर आरोपित होता है। उक्त की जांच भी GST प्रविधानों के अंतर्गत करना आवश्यक है। जब दूरसंचार सेवाओं के साथ सहायक सेवाएं दी जाती हैं, तो यह मूल्यांकन आवश्यक है कि वह समग्र आपूर्ति के अंतर्गत आती हैं (जिस पर एक समान कर दर लागू होती है) या मिश्रित आपूर्ति के रूप में मानी जाएंगी (जिस पर उच्चतम कर दर लागू होती है)। प्रत्येक लेन-देन का विश्लेषण स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए ताकि कर देयता का उचित निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके। जैसे

   a) एक ही रिचार्ज प्लान के अंतर्गत मोबाइल, SMS और इंटरनेट सेवाएं दी जाती हैं।
   b) टेलीकॉम ऑपरेटर कभी-कभी वाई-फाई सेट-टॉप बॉक्स के साथ / बिना ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करते हैं।
   c) इसी प्रकार, DTH सेवाएं भी सेट-टॉप बॉक्स के साथ या बिना अतिरिक्त शुल्क पर दी जाती हैं।

7) टेलीकम्यूनिकेशन सर्विसेस में महत्वपूर्ण बिन्दु place of supply का निर्धारण है। यह देखा जाना आवश्यक है कि सर्विस प्रदाता द्वारा केवल income tax / accounting के उद्देश्य से तो बिलिंग नहीं की जा रही है। सप्लाई के सही स्थान का निर्धारणः केवल लेखा प्रविष्टियों पर निर्भर न रहें, बल्कि बिलिंग रिकॉर्ड, इंस्टॉलेशन पता और ग्राहक अनुबंधों का उपयोग करें।

8) यह देखा जाना आवश्यक है कि बिना सेवाओं के आपूर्ति के ही केवल IGST की ITC के लिए ही tax invoice जारी तो नहीं किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि केवल financial adjustment के आधार पर करापवंचन हो रहा हो, अथवा गलत IGST की ITC pass-on की जा रही हो, जिससे अंतिम रूप में SGST की liability घट जाती है साथ ही IGST liability के विरुद्ध SGST की ITC set-off होने से राज्य के राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

9) दूरसंचार सेवाओं में यह देखा जाना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में काफी पंजीकृत संस्थाओं / व्यक्तियों को बिलिंग SGST / CGST के स्थान पर IGST संव्यवहार के रूप में हो रही है। जबकि उन संस्थाओं / व्यक्तियों को सेवाओं की आपूर्ति उत्तर प्रदेश स्थित टावरों / पंजीकृत व्यापारियों से होती है।

(B) टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं में ITC जांच हेतु मुख्य बिन्दु

टेलीकॉम ऑपरेटरों का डाटाबेस अत्यधिक बड़ा होता है। मासिक GSTR-3B, GSTR-1, GSTR-2B, e-Way Bill आदि में आमतौर पर केवल संक्षिप्त और संख्यात्मक जानकारी ही होती है।

GSTR-9 और GSTR-9C के साथ वैल्यूएशन शीट तथा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का समग्र विश्लेषण करके ही टैक्स देनदारी (Tax Liability) और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की शुद्धता का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कार्य धारा - 61 के अंतर्गत स्क्रूटनी के बजाय समन, धारा – 151 के अंतर्गत अभिलेखों की मांग आदि की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना अधिक उपयुक्त होगा।

1) इन कंपनियों द्वारा मुख्य रूप से दो माध्यमों से ITC का लाभ लिया जाता है:
   a) All Other ITC (Tax Invoice के आधार पर की गई खरीद)
   b) ISD ITC (हेड ऑफिस द्वारा वितरित क्रेडिट)
2) All Other ITC की श्रेणी में विशेष रूप से धारा - 17(5) के अंतर्गत आने वाले Blocked ITC तथा Non-Business Related ITC की जांच करना अत्यंत आवश्यक है। यह ध्यान देने योग्य है कि ये बड़ी कंपनियाँ हैं, जिनकी गतिविधियाँ बहुविध होती हैं। इनके द्वारा कई बार ऐसी खरीद की जाती है जो व्यवसाय से संबंधित नहीं होती और साथ ही धारा - 17(5) के तहत Blocked ITC की श्रेणी में आती है।

(C) ITC Reversal की जांच हेतु प्रमुख बिंदु

1) **Telecommunication Tower से संबंधित ITC की पात्रता (Eligibility):** UPGST अधिनियम की धारा - 17 के साथ संलग्न स्पष्टीकरण में टेलीकम्यूनिकेशन टावर पर ITC को अनुमन्य नहीं किया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Ahmedabad Municipal Corporation vs GTL Infra. Ltd. & Ors. etc. on 16 December, 2016 (IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION CIVIL APPEAL NOS.5360-5363 OF 2013) के वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टेलीकम्यूनिकेशन टावर को निम्नवत परिभाषित किया गया है –

   > 22. We may now see what a Mobile Tower is and consists of. In technical terms, a Mobile Tower is called a Base Transceiver Station. It involves the making of a structure consisting of the following:
   >
   > a. A pre-fabricated shelter made of insulating PUF material made of fibres.
   > b. Electronic Panel.
   > c. Base Transceiver Station (BTS) and other radio transmission and reception equipment.
   > d. A diesel generator set.
   > e. Six poles of 6 to 9 meters length each made of hollow steel galvanized pipes.
   >
   > A mobile tower is constructed either on vacant land or on the terrace of existing buildings on the basis of agreements with the owners of such properties.

   मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री सफारी रिट्रीट के प्रकरण में दिये गये निर्णय के क्रम में वित्त अधिनियम 2025 द्वारा सी0जी0एस0टी0 अधिनियम में संशोधन किया गया है जिससे उक्त निर्णय का वर्तमान में कोई प्रभाव नहीं है।

   सी0जी0एस0टी0 अधिनियम में टेलीकाम टावर की आई0टी0सी0 को Plant and Machinery की श्रेणी में disallow किया गया है, इसके movable या immovable होने का कोई प्रभाव आई0टी0सी0 की देयता पर नहीं होगा।

2) **लिस्टेड कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही की संवेदनशीलता:** इन कंपनियों पर की गई किसी भी कार्यवाही की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी जाती है, जिससे यह तत्काल पब्लिक डोमेन में पहुंच जाती है। अतः इन कंपनियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही पूर्ण सूझबूझ और साक्ष्य के साथ की जानी चाहिए।

3) **ITC Reversal की संभावनाएँ और सेक्शन 17(3) का महत्व: Section - 17(3)** में *Exempt Supplies* को परिभाषित किया गया है, जिसमें निम्न शामिल हैं -
   a) RCM Turnover
   b) Transactions in Securities
   c) Sale of Land
   d) **Sale of Building (Schedule II के अनुसार)**

ये सभी आंकड़े सामान्यतः GSTR-3B में घोषित नहीं किए जाते, परंतु Balance Sheet में इनसे संबंधित आय (Income) दिखाई देती है। अतः इन आंकड़ों का विश्लेषण कर ITC Reversal की नई संभावनाओं को तलाशा जा सकता है, जिससे बड़ी धनराशि की वसूली संभव हो सकती है। किसी भी अन्य आय (जैसे, ब्याज आय, किराया, कबाड़ की बिक्री, आदि) की पहचान करें जो GST रिटर्न में रिपोर्ट नहीं की गई हो।

4) **Balance Sheet आधारित कार्यवाही के संभावित Scope:** कई कंपनियों की बैलेंस शीट में ऐसी सप्लाई से अधिक मात्रा में आय (Income) दिखाई जाती है जो कि GSTR डाटा से मेल नहीं खाती। इसका गहराई से अध्ययन कर एक नए स्कोप के रूप में कार्यवाही की जा सकती है, जो विभाग के लिए उपयोगी एवं राजस्ववर्धक सिद्ध हो सकती है।

5) **Section - 17(5) के अंतर्गत Blocked ITC की संभावित श्रेणियाँ (ITC 2B में Auto-Populated भी):**
   a) Motor Vehicle (सामान्य उपयोग के लिए)
   b) Travel Benefits
   c) Hotel Accommodation
   d) Food & Beverages
   e) General Insurance
   f) Works Contract Services for the construction of immovable property

(D) RCM (Reverse Charge Mechanism) जांच हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए:

1. **RCM देयताओं की स्वीकृति:** इन कंपनियों द्वारा लीज, किराया, स्पेक्ट्रम शुल्क, आयातित वस्तुएं एवं सेवाओं जैसे मदों पर बड़े पैमाने पर RCM देयता स्वीकार की जाती है। सुनिश्चित करें कि RCM के तहत सेल्फ-इनवॉइसिंग और जी0एस0टी0 का भुगतान सही तरीके से किया गया है। जी0एस0टी0 रिटर्न में RCM प्रविष्टियों का खर्च खाते और सहायक दस्तावेजों से मिलान करें। GSTR-3B में RCM के तहत घोषित मूल्यों की ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट में प्रविष्टियों के साथ क्रॉस-चेक करें और संबंधित जी0एस0टी0 अधिसूचनाओं के तहत लागू दर की जाँच करें। सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति और टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा भुगतान की गई राशि को समझें ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि रिवर्स चार्ज देयता सही ढंग से पूरी हुई है या नहीं। खर्च खाते की जांच करें जहाँ किराया खर्च दर्ज किया गया हो और सत्यापित करें कि क्या सरकार से लीज प्राप्त की गई है।
2. **कर की दर एवं लेन-देन मूल्य का परीक्षण:** उपरोक्त लेन-देन पर लागू कर दर एवं Transaction Value की वैधता का परीक्षण GST के प्रावधानों के अनुरूप किया जाना चाहिए, जिसे Balance Sheet से मिलान कर जांचा जा सकता है।
3. **कॉरपोरेट व्यय पर RCM:** कंपनियों द्वारा किए गए कॉरपोरेट शुल्क जैसे ROC फाइलिंग व्यय पर भी RCM की देयता बनती है। सरकार और सरकारी प्राधिकरणों (जैसे कि DoT – Department of Telecommunications) को किए गए भुगतानों पर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) लागू हो सकता है।
4. **एडवोकेट सेवाएं:** इन कंपनियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में मामलों के लिए उच्चस्तरीय एडवोकेट सेवाएं ली जाती हैं, जिन पर RCM लागू होता है। इसकी पुष्टि भी Balance Sheet से की जा सकती है।
5. **विदेश से प्राप्त सेवाएं/आय:** विदेशों से प्राप्त सेवाओं या आय को किस श्रेणी में रखा गया है, उस पर GST प्रावधानों की समीक्षा आवश्यक है — क्या वह सेवाएं "Import of Services" की श्रेणी में आती हैं तो उन पर RCM लागू होता है। फॉर्म 15CA/CB और वित्तीय विवरण में विदेशी भुगतान अनुसूची के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है।
6. **Related Party Transactions की समीक्षा:** संबंधित पक्षों के साथ हुए लेन-देन (Related Party Transactions) की भी जांच आवश्यक है, क्योंकि उन पर भी RCM लागू हो सकता है।

7. **पूर्ववर्ती कार्यवाहियों का अध्ययन:** इन कंपनियों के विरुद्ध अन्य राज्यों में या पूर्व में Service Tax के अंतर्गत की गई जांच/कार्यवाही का अध्ययन करना उचित होगा, जिससे वर्तमान जांच की दिशा बेहतर निर्धारित की जा सके।

(E) ISD जांच से संबन्धित बिन्दु

1. **ITC का वितरण:** जांच का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि क्या ITC का वितरण ISD की ITC Head Office द्वारा नियमानुसार किया गया है या नहीं।
    - ISD की ITC वितरण का मास्टर सर्कुलर (Circular No. 199/11/23/GST दिनांक: 17-07-2023 है, जिसमें विस्तार से ISD वितरण की व्यवस्था को समझाया गया है। इसका अध्ययन आवश्यक है।
    - ISD की ITC का वितरण केवल पंजीकृत शाखाओं में, जो उसी PAN पर हो, को किया जाएगा। किसी अन्य पंजीकृत व्यक्तियों या अन्य फर्मों को वितरण नहीं होगा।
    - ISD की ITC केवल Input Services की वितरण होगी, capital goods अथवा other inputs की नहीं।
    - विज्ञप्ति संख्या – 16/2024 CT दिनांक: 06-08-2024 द्वारा दिनांक: 01-04-2025 से केंद्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 2024 (2024 का 8) की धारा – 1(2)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह व्यवस्था की गयी है कि -
        - *the 1st day of October, 2024, as the date on which the provisions of sections 13 of the said Act shall come into force;*
        - *the 1st day of April, 2025, as the date on which the provisions of sections 11 and 12 of the said Act shall come into force.*
2. **कैपिटल गुड्स से संबंधित ITC:** इन कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में कैपिटल गुड्स का उपयोग किया जाता है और उन पर ITC प्राप्त की जाती है। यदि इन गुड्स का निपटान 5 वर्षों के भीतर होता है, तो नियमानुसार Rule - 43 के तहत RITC (Reversal of ITC) करना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त, कैपिटल गुड्स की ITC धारा - 16(3) के अंतर्गत भी आती है।
3. **Value added services पर कर देयता:** Value added services पर कर देयता का सावधानी पूर्वक परीक्षण टेलीकाम कंपनी द्वारा दी जा रही इस श्रेणी की सेवाओं एवं उनके लिये किये गये अनुबंधों के आधार पर किया जाना चाहिये। जांच करें कि क्या VAS telecom plans के साथ bundled है (जैसे कि OTT data pack के साथ bundled है) - main supply के साथ service composite है। सुनिश्चित करें कि VAS से प्राप्त revenue सही तरीके से disclose किया गया है और उचित GST rates के तहत tax किया गया है।

GST अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तियों / पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं अथवा आपूर्ति किए जाने वाली वस्तुओं के लिए GST अधिनियम में दिये गए प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक है। जो निम्न प्रकार है –

1. प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता को उन सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में GST पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है जहाँ वे सेवाएँ प्रदान करते हैं।
2. GST कानून के अनुसार दूरसंचार सेवाओं को सेवा लेखा कोड (SAC) 9984 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
3. इन सेवाओं पर 18% GST (9% CGST + 9% SGST या अंतर-राज्य आपूर्ति के मामले में 18% IGST) लागू होता है।
4. कुछ सेवाओं और अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पर विशेष प्रावधान हो सकते हैं। (नवीनतम CBIC अधिसूचनाओं और परिपत्रों का संदर्भ देखें) क्योंकि बहुत सारे incidental services छुपी होती हैं, जिस पर कर की देनदारी होती है।
5. IGST अधिनियम की धारा - 12 के अनुसार, B-2-B और B-2-C लेनदेन के लिए आपूर्ति का स्थान अलग-अलग हो सकता है।

6. डिस्ट्रिब्यूटर या एजेंट के माध्यम से बेची गई प्रीपेड सेवाओं के लिए, आपूर्ति का स्थान एजेंट का स्थान माना जाएगा।
7. पोस्टपेड और बिल की गई सेवाओं के लिए, आमतौर पर ग्राहक का बिलिंग पता आपूर्ति का स्थान होता है।
8. अंतरराष्ट्रीय रोमिंग के मामले में, आपूर्ति का स्थान भारत के बाहर होता है लेकिन यदि भारत में बिल किया गया है तो GST के अंतर्गत कर योग्य हो सकता है।
9. व्यवसाय की प्रकृति में उपयोग किए गए सभी इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर ITC लिया जा सकता है।
10. व्यक्तिगत उपयोग, मोटर वाहन (जब तक कोई अपवाद लागू न हो), और CGST अधिनियम की धारा - 17(5) के अंतर्गत अवरुद्ध क्रेडिट पर ITC उपलब्ध नहीं है।
11. कानूनी फीस, निदेशक पारिश्रमिक (कुछ मामलों में), अपंजीकृत GTA सेवाएँ आदि पर RCM के अंतर्गत GST देना होता है।
12. दूरसंचार ऑपरेटरों को अन्य ऑपरेटरों से प्राप्त इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क (IUC) और रोमिंग राजस्व का लेखा रखना होगा।
13. उपयुक्त सेवाओं पर GST प्रकार (CGST / SGST या IGST) निर्धारित करने के लिए आपूर्ति का स्थान (Place of Supply) का नियम सही तरीके से लागू करें।
14. CGST अधिनियम के नियम - 56 के अनुसार जारी और प्राप्त बीजकों की प्रतियाँ; प्राप्त और समायोजित अग्रिमों का लेखा; स्टॉक, प्रदत्त सेवाओं, और इनपुट / आउटपुट कर देनदारी का रिकॉर्ड तथा वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि से 72 महीने (6 वर्ष) तक लेखा पुस्तकें रखना आवश्यक है।

मुख्यालय द्वारा जारी यह दिशा-निर्देश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं CBIC द्वारा समय-समय पर जारी विज्ञप्ति, परिपत्र तथा मुख्यालय द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र के परिपेक्ष्य में पढ़ा एवं समझा जाये। यह दिशा-निर्देश जी0एस0टी0 काउंसिल के द्वारा पूर्व में तथा भविष्य में जारी विज्ञप्ति, परिपत्र के अधीन है। न्याय निर्णयन अधिकारियों के द्वारा उपरोक्त दिशा-निर्देश के आधार पर कार्यवाही माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं CBIC द्वारा जारी विज्ञप्ति, परिपत्र में किए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी।

23/6/25

(डा0 नितिन बंसल)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश

पृष्ठांकन, पत्र संख्या व दिनांक – उक्त

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश